बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

सख्या–भर्त्ती कोषाग (विविध)–13/2019– (भ0को0)/रा0, पटना–15, दिनाक–

बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत् "बिहार विशेष सर्वेक्षण सविदा नियोजन नियमावली, 2019 के आलोक मे राजस्व एव भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत भू–अभिलेख एव परिमाप निदेशालय के विज्ञापन स0–02/2019 के द्वारा अमीन पद पर सविदा के आधार पर नियोजन हेतु ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त किया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक मे भू–अभिलेख एव परिमाप निदेशालय के महत्वपूर्ण सूचना पत्राक–800, दिनाक–25 05 2019 के द्वारा मेधा क्रमानुसार एव आरक्षण कोटिवार रिक्तियो का 2 5 गुणा अभ्यर्थियो को काउन्सिलिग हेतु आमत्रित किया गया, जिसके आलोक में दिनाक–14 06 2019 से दिनाक–01 07 2019 के बीच अन्य पदो के साथ–साथ अमीन पद के अभ्यर्थियो की काउन्सिलिग का कार्य किया गया। काउन्सिलिग के पश्चात् अमीन पद के सदर्भ में डाटा एनालिसिस के क्रम में यह पाया गया कि अमीन के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध 550 रिक्तियो के विरूद्ध काउन्सिलिग हेतु आमत्रित लगभग 1376 अभ्यर्थियो में से मात्र 150 अभ्यर्थियों का अमानत/सर्वेयर सबधी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के सबध मे निर्गत विभागीय पत्राक–36(भ0को0)/रा0, दिनाक–10 06 2019 एव विज्ञापन की शर्त्तों के अनुकूल पाया गया। इस प्रकार यह अनुभव किया गया कि अमीन पद पर नियोजन हेतु ऑन–लाईन प्राप्त कुल 29,254 आवेदनो में से अधिकांश अभ्यर्थियों का अमानत/सर्वेयर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्त्तों एव इस सबध मे निर्गत विभागीय दिशा–निर्देशो के अनुकूल नहीं है।

ऐसी स्थिति मे अमीन पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध 550 रिक्तियो को पूर्ण करने के उद्देश्य से विज्ञापन की शर्त्तों एव विभागीय पत्राक–36(भ0को0)/रा0, दिनाक–10 06 2019 के अनुकूल शैक्षणिक अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियो को चिन्हित करने हेतु कितने अभ्यर्थियो की काउन्सिलिग की जाय, यह निश्चित नहीं हो पा रहा था अर्थात् यह सम्भव था कि ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करने वाले सभी 29,254 अभ्यर्थियो की काउन्सिलिग करने की आवश्यकता पड सकती थी, जो कि तार्किक एव व्यवहारिक नहीं था।

वर्णित स्थिति मे यह आवश्यक था कि सर्वप्रथम उक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन की शर्त्तों एव विभागीय पत्राक–36(भ0को0)/रा0, दिनाक–10 06 2019 के अनुकूल शैक्षणिक अर्हता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियो को चिन्हित करने की कार्रवाई की जाय एव तदनुसार ही काउन्सिलिग की कार्रवाई की जाय। उक्त के आलोक मे विभागीय कार्यालय आदेश पत्राक–101(भ0को0)/रा0, दिनाक–10 10 2019 के द्वारा विभागीय कुल–15 टीम का गठन करते

हुए अमीन पद हेतु प्राप्त सभी ऑन–लाईन आवेदन (कुल–29,254) के सदर्भ मे अभ्यर्थित्व मान्य/अमान्य करने की कार्रवाई की गयी।

उपर्युक्त के आलोक मे पूर्व मे भू–अभिलेख एव परिमाप निदेशालय के महत्वपूर्ण सूचना पत्राक–800, दिनाक–25 05 2019 के आलोक मे मेधा क्रमानुसार एव आरक्षण कोटिवार रिक्तियो का 25 गुणा अभ्यर्थियो की गई अमीन पद की काउन्सिलिग को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक– भर्त्ती कोषाग (विविध)–13/2019– (भ0को0)/रा0, पटना, दिनाक–

प्रतिलिपि– निदेशक, भू–अभिलेख एव परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापाक– भर्त्ती कोषाग (विविध)–13/2019– 109 (भ0को0)/रा0, पटना, दिनाक–08-11-2019

प्रतिलिपि–सभी सबधितो की सूचना हेतु आई0टी0मैनेजर, राजस्व एव भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।